भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र कोटा

सरसों की फसल की कटाई, मडाई एवं थ्रेसिंग करने के लिये लिमिटेड टेन्डर

Format of Bid on Limited Tender

वित्त वर्ष 2020–21

क्रं. सं.	**कार्य का विवरण**	**कुल क्षेत्रफल**	**दर प्रति हैक्टेयर**	**कुल राशि (रू. में)**
1.	श्रमिको द्वारा सरसों की फसल की कटाई–मडाई करना थ्रेसिंग करना। थ्रेसिंग कार्य के लिये थ्रेसर, ट्रेक्टर एवं ड्राईवर ठेकेदार का होगा ।	17 हैक्टेयर	रू. /हैक्टर	अंको में रू..... शब्दो में रू..... .....
2.	किराये की कम्बाईन मशीन द्वारा सरसों की फसल की कटाई–मडाई एवं थ्रेसिंग करना।	17 हैक्टेयर	रू. /हैक्टेयर	अंको में रू..... शब्दो में रू..... .....

Terms & Conditions of Job Contract

निविदा की नियम एवं शर्ते :–

1. इच्छुक निविदादाता कार्यालय में निविदा प्रेषित करने से पहले सम्बन्धित यूनिट का निरीक्षण सम्बन्धित यूनिट के प्रभारी से सम्पर्क करके कर सकता है।

2. निविदा फार्म के साथ 'EMD/Bid Security declaration' देना अनिवार्य है (अनुलग्नक संलग्न) तथा इसके अतिरिक्त कार्य आदेश होने की स्थिति में पूरे कार्य की धनराशि का **3** प्रतिशत अग्रिम धनराशि Performance Security 7 दिन के अन्दर कार्यालय में जमा कराना होगा। यह राशि OIC,CSWCRTI, KOTA के नाम भारतीय स्टेट बैंक में देय बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर के रूप में प्राप्त की जायेगी।

3- निविदा प्रपत्र के नियमों व शर्तों जानकारी सहित संस्थान की वेबसाईट www.cswcrtiweb.org as well as Central Public Procurement Portal से ज्ञात किये जा सकते है । निविदा प्राप्त होने की अन्तिम तिथि दिंनाक **6.2.2021 अपरान्ह 2.00** बजे तक है ।

4. ठेकेदार/फर्म को कार्य आदेश (Work Order) मिलने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ करने से पहले 07 दिनों के अन्दर टैण्डर के साथ में लगा विस्तृत एग्रीमेण्ट फार्म कार्यालय मे आकर रू. 100/– के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर भरकर जमा करना होगा। यदि निविदाकर्ता ऐसा करने में असफल होता है तो ऐसी स्थिति में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और कार्य कराने का ऑफर अगले सफल निविदाकर्ता/फर्म को दे दिया जायेगा।

5. निविदाकर्ता को केन्द्र के प्रक्षेत्र पर कार्य आरम्भ करने से पहले केन्द्राध्यक्ष/ कार्यालय को सुपरवाईजर का नाम व पता बताना होगा तथा उसका आई. डी. प्रुफ भी कार्यालय में जमा करना होगा। तथा सुपरवाईजर को कार्य अवधि में प्रक्षेत्र पर उपस्थित रहना होगा एवं प्रतिदिन के कार्य के ब्यौरे का पता करके कार्य को निश्चित अवधि में पूरा कराना होगा।

6. निविदाकर्ता/सुपरवाईजर किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं बनायेगा।

7. निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा रखे गये सभी श्रमिक 20 से 50 वर्ष की उम्र के बीच के हो जो शारीरिक रूप से स्वस्थ, रोगमुक्त, घाव रहित एवं संक्रामक रोग रहित हो जिससे वे अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में सक्षम होगें। यदि कोई श्रमिक योग्य नहीं पाया जाता है तो केन्द्र को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये उस श्रमिक को बदलने के लिए कह सकता जिसे बदलने के लिए निविदाकर्ता बाध्य होगा।

8. निविदाकर्ता को केवल वयस्क श्रमिक ही कार्य में लगाने होंगे। बाल श्रमिकों को रोजगार पर रखे जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

9. इस ठेके के तहत् निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्ति केन्द्र के कर्मचारी नहीं होने चाहिए तथा उपरोक्त सेवाओं के लिए निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये व्यक्तियों और संस्थान के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं होगा।

10. निविदाकर्ता या उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी भी श्रमिक का केन्द्र से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
11. निविदाकर्ता अपने अधिकारों को किसी अन्य को स्थानान्तरित नहीं करेगा।

12. निविदाकर्ता या उसके कर्मचारी, जिस उदेश्य के लिए ठेका सौंपा गया है, के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिये परिसर का दुरूपयोग नहीं करेंगे।

13. किसी कारणवश यदि निविदाकर्ता निश्चित अवधि में कृषि कार्य पूरा कराने के लिये पर्याप्त संख्या में मजदूर नहीं ला पा रहा है तब ऐसी स्थिति में फार्म इन्चार्ज अतिरिक्त मजदूरों को बुलाकर उनसे समय पर काम करा सकते हैं तथा इन मजदूरों की मजदूरी का भुगतान निविदाकर्ता को सरकारी रेट पर करना होगा। यदि निविदाकर्ता इन मजदूरों की मजदूरी नहीं देता है तब सम्बन्धित निविदाकर्ता के बिल से केन्द्र/संस्थान द्वारा पैसा काटकर आहरण एवं वितरण अधिकारी (डी. डी.ओ.) के माध्यम से मजदूरों को दे दिया जायेगा।

14. कार्य के लिये आवश्यक अनुमानित श्रमिकों की संख्या ठेकेदार को दो से तीन दिन पहले सूचित कर दी जायेगी। यदि समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करायेंगे तो निविदा निरस्त करने का अधिकार केन्द्र का होगा।

15. कार्य के अनुसार समय समय पर श्रमिकों की संख्या कम व ज्यादा हो सकती है।
16. सरसों की कटाई,मडाई, थ्रेसिंग आदि के लिये समस्त कृषि उपकरण केन्द्र द्वारा नहीं दिया जायेगा। ये सभी सामान निविदाकर्ता के ही होंगे।
17. सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराने होंगे। समय सीमा का निर्धारण प्रभारी वैज्ञानिक/प्रभारी प्रक्षेत्र द्वारा होगा। समय सीमा में कार्य सम्पन्न न होने के कारण हुये आर्थिक नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी। नुकसान होने की स्थिति में, नुकसान का आंकलन केन्द्राध्क्षक द्वारा गठित कमेटी करेगी। नुकसान की भरपाई निविदाकर्ता के बिल से काटकर की जायेगी।
18. सभी कार्य प्रभारी वैज्ञानिकों/फार्म इंचार्ज की आवश्यकतानुसार एवं उनके दिशा निर्देशों के अनुसार कराने होंगे।
19. निविदाकर्ता को कार्य स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध करना होगा और उसका लगातार रख रखाव भी करना होगा।
20. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को कार्य के समय, यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उस घटना का हर्जाना भी सम्बन्धित निविदाकर्ता को ही देना होगा।
21. श्रमिकों से सम्बन्धित सभी दायित्व निविदाकर्ता के होंगे।
22. ठेके से सम्बन्धित सभी रिकार्ड जैसे मजदूरी,, SGST, CGST, कार्य के घंटे, कार्य की अवधि, धनराशि एवं भुगतान की तिथि इत्यादि को रखने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी और जिन्हें सम्बन्धित प्रक्षेत्र के प्रभारी से सत्यापित कराना होगा और जब कभी भी इन रिकार्डों को देखने के लिए मांगा जायेगा तो उपलब्ध कराना होगा।
23. टैण्डर में दिया गया फसलों का कार्य तथा क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है जिसे मानने के लिए निविदाकर्ता बाध्य होगा।
24. Long terms Experiments के तहत फसलों के कार्य फसलावधि तक पूरे करने होंगे और उनका भुगतान भी फसलावधि समाप्त होने पर ही किया जायेगा।
25. निविदाकर्ता समय–समय पर फसलों से सम्बन्धित कार्य एवं क्षेत्रफल के बदलाव को मानने के लिए बाध्य होगा।
26. ठेके से सम्बन्धित उपरोक्त सभी निर्देशों, नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त समय–समय पर कार्यालय द्वारा अन्य जारी होने वाले निर्देशों, नियम एवं शर्तों को मानने के लिए भी निविदाकर्ता बाध्य होगा।
27. सभी फसलों से सम्बन्धित कार्यों को निश्चित अवधि में सम्पन्न कराने हेतु चालक एवं श्रमिक निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराने होगें।

28. ठेकेदार को नियमानुासार सभी लागू देय, कर एवं प्रभार जमा करके बिल तथा उनकी प्रतिलिपि को सम्बन्धित प्रक्षेत्र के प्रभारी से सत्यापित आदि औपचारिकता पूरी करके कार्य के भुगतान हेतु अपना बिल कार्यालय में जमा कराना होगा। इन सभी औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद ही बिल का भुगतान किये गये कार्य के अनुपात के आधार पर किया जायेगा। ठेकेदार कार्यालय को यह विश्वास दिलायेगा कि ठेके से सम्बन्धित सभी दायित्व जैसे Minimum wages, CGST & SGST एवं सभी Govt. Levies पूरे कर दिये हैं।

29. सफल निविदादाता/फर्म को ठेके की कुल राशि का **3** प्रतिशत performance security के रूप में कार्य आदेश जारी होने एवं ठेकेदार द्वारा कार्यालय में सहमति प्रस्तुत करने के बाद तथा कार्य प्रारभ करने की तिथि से सात दिनों के अन्दर जमा करनी होगी जो कार्यालय में ठेके का कार्यकाल संतोषजनक समाप्त होने एवं ठेके से सम्बन्धित सभी औपवचारिता पूरी करने तक जमा रहेगी जिस पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। यदि सफल निविदादाता/फर्म निर्धारित देय तिथि तक जमा करनें में असफल होता है तो यह समझा जा जायेगा कि ठेकेदार/फर्म कार्य कराने में इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको दिया हुआ ऑफर निरस्त कर दिया जायेगा और उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और ठेके का ऑफर अगले सफल फम/ठेकेदार को दे दिया जायेगा।

30. नियमानुसार सभी लागू देय, कर एवं प्रभार भी ठेकेदार के बिल से काटे जायेंगे। यदि लागू देय, कर एवं प्रभार में सरकार द्वारा समय–समय पर कोई बदलाव होता है या सरकार द्वार नया देय, कर, प्रभार लागू होता है तो उसे मानने एवं जमा करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

31. सरसों की फसल की कटाई की रेट्स प्रति हैक्टेअर, के हिसाब से मांगे गये हैं। इसलिए जितने क्षेत्रफल में फसल की कटाई व थ्रेसिंग का कार्य होगा उसी क्षेत्रफल के अनुसार कार्य का भुगतान किया जायेगा जिसे मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

32. सभी श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान ठेकेदार द्वारा समस से एवं नियमानुसार करना होगा ।

33. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को किया जाने वाला समस्त भुगतान उसके अपने स्त्रोतो से करना होगा।

34. यदि ठेकेदार/फर्म उसके द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को समय पर उनकी दैनिक वेतन नहीं देता है तो केन्द्र को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार/फर्म के बिल से संस्थान द्वारा पैसा काटकर आहरण एवं सवितरण अधिकारी के माध्यम से श्रमिकों को दे दिया जाये। इस सम्बन्ध में ठेकेदार/फर्म को कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

35 निविदा मान्य होने की दशा में यदि उस ठेकेदार को कार्य कराने व अन्य औपचारिकताएं पूरी करने का आदेश दिया जाता है और यदि वह ठेकेदार उस ओदश को लेने से मना करता है या कोई भी औपचारिकता पूरी नहीं करता है तो ऐसी स्थिति मे उसको दिया गया ऑफर निरस्त कर दिया जायेगा और उसकी धरोहर/सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी।

36. जिस ठेकेदार की निविदा मान्य होगी यदि कार्य आदेश मिलने के बाद उस ठेकेदार से कोई पत्राचार किया जाता है और वह उस पत्र का जवाब देने या पत्र स्वीकार करने से मना करता है या इस बीच किसी अधिकारी या कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करता है तो ऐसी स्थिति में उसको दिया गया ऑफर निरस्त कर दिया जायेगा।

37. कार्य आदेश मिलने के बाद एक सप्ताह के अन्द कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में भी उसको दिया ऑफर निरस्त कर दिया जायेगा और उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाऐगी।

38. कार्य आदेश मिलने के बाद यदि ठेकेदार कार्य बीच में छोड़ता है या मजदूर देने से मना करता है या मजदूर कम संख्या में उपलब्ध कराता है या कार्य करने में विलम्ब करता है या लम्बे सयम तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उसको दिया गया ऑफर निरस्त कर दिया जायेगा और उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी।

39. ठेके का आबंटन होने के बाद यदि ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त मुशी (सुपरवाईजर) का पुलिस द्वारा सत्यापन कराने के बाद अपराधिक रिकार्ड पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी ठेका निरस्त कर performance security राशि जब्त की जा सकती है।

40. ठेकेदार केन्द्र द्वारा निर्धारित सभी शर्तों व निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा। ठेका आवंटन के बाद नियम व शर्तें पूरी न होने की स्थिति में ठेका निरस्त कर दिया जाएगा और कार्यालय में जमा performance security राशि जब्त कर ली जाएगी।

41. ठेकेदार द्वारा निविदा तथा करार में दी गयी सभी दिशा निर्देश, नियम एवं शर्तों को ठीक प्रकार से पालन न करने की दशा में केन्द्राध्यक्ष,भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोटा को उनका ठेका निरस्त करने एवं performance security राशि भी जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

42.. सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराने होंगे। समय सीमा का निर्धारण प्रभारी वैज्ञानिक/प्रभारी प्रक्षेत्र द्वारा होगा। समय सीमा में कार्य सम्पन्न न होने के कारण हुये आर्थिक नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी। नुकसान होने की स्थिति में, नुकसान का आंकलन केन्द्राध्यक्ष द्वारा गठित कमेटी करेगी। नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिल से काटकर की जायेगी।

43. निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा इसके साथ लगे संलग्नक, करार Agreement का भी भाग होंगे। जिनका पालन करना अनिवार्य है।

44. सभी कार्य प्रभरी वैज्ञानिकों/फार्म इंचार्ज की आवश्यकतानुसार एवं उनके दिशा निर्देशों के अनुसार कराने होंगे।

45 कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित सभी दायित्व ठेकेदार के होंगे।

46. लेबर एक्ट के अनुसार ठेकेदार/निविदादाता को संविदा श्रम अधिनियम (विनियमन एवं उन्मूलन) 1970, कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, ई.एस.आई. (if applicable), ई.पी.एफ. एवं एम.पी. अधिनियम आदि का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। पालन न करने की दशा में सारी जवाबदेही ठेकेदार/निविदादाता की होगी तथा उसकी भरपाई भी ठेकेदार/निविदादाता को करनी होगी।

47. ठेकेदार श्रम विभाग (केन्द्रीय/राजकीय) के नियम एवं शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

48. श्रमिक संबंधी किसी भी कानूनी प्रावधानों के संबंध में ठेकेदार स्वयं अकेले ही जिम्मेदार होगा।

49. कार्य का निष्पादन करने के लिये ठेकेदार द्वारा तैनात श्रमिकों/सुपरवाईजरों के सभी कानूनी दायित्वों जैसे–वेतन एवं सेवा सम्बन्धी शर्तों का निर्वहन किया जायेगा तथा समय–समय पर उन पर लागू होने वाले नियम व निर्देशों एवं कानूनी प्रावधानों का भी अनुपालन किया जायेगा। यदि निविदाकर्ता विभिन्न कानूनी दायित्वों का पालन करने में असफल होता है तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोटा को किसी भी दावा, नुकसान एवं क्षति से पूर्णतः अलग रखेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक महोदय संस्थान एवं केन्द्राध्यक्ष भारतीय मृदा एव ंजल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोटा का निर्णय अन्तिम होगा और ठेकेदार के लिये वह मान्य होगा।

50. अनुबन्ध एवं नियम व शर्तों के किसी भी पहलू पर विवाद की स्थिति में निदेशक महोदय संस्थान एवं केन्द्राध्यक्ष,भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र कोटा का निर्णय अन्तिम होगा। जिसे मानने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होंगे और उसे किसी भी मध्यस्थत के लिये नहीं भेजा जायेगा।

51. निविदा खोलने के पूर्व केन्द्र के सभागार में दिंनाक 30.01.2021 **अपरान्ह 3.00** बजे प्री बिड मिटिंग रखी गई है । सम्बन्धित निविदादाता को यदि निविदा से सम्बन्धित कोई जानकारी चाहिये तो वे प्री बिड मिटिंग में दिंनाक 30.01.2021 **अपरान्ह 3.00** बजे शामिल हो सकते है ।

52. जिन ठेकेदारो /फर्मो से निविदाएं आंमन्त्रित करने हेतु केन्द्र द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है केवल उन्ही ठेकेदारो की निविदाओं को सम्मिलित किया जायेगा तथा नये ठेकेदारों से यदि निविदा प्राप्त होती है तो उन्हे भविष्य मे आंमन्त्रित की जाने वाली निविदा में सम्मिलित किया जा सकता है।

53. निविदा खोलने की तिथि से अगले 60 दिन तक यह निविदा मान्य रहेगी ।

केन्द्राध्यक्ष

Annexure-I
अनुलग्नक

ICAR- INDIAN INSTITUTE OF SOIL & WATER CONSERVATION, RESEARCH CENTRE, KOTA (RAJASTHAN)

TENDER ENQUIRY THROUGH LIMITED TENDER

I /We have read and understood general terms and condtions contained in the tender documented of 'Limited Tender for Harvesting and Threshing of Mustard Crops'.

I/We do hereby declare that if withdraw or modify bids during period of validity etc. by me/us, I/we will be suspended for the time tender documents. Any misrepresentation of facts will render me/us liable to any action as may be deemed fir by ICAR-IISWC,RC,Kota.

Name & Signature of Authorised Signatory

Seal of the firm……

Full Address ……..